संख्या-62/2015/2630/सैंतीस-2-2015-1(35)/2013

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 सितम्बर, 2015

विषय:- **राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया लखनऊ में उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को निबलेट, बाराबंकी पर पुनर्स्थापित करने हेतु द्वितीय चरण के कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-349/पशुधन-2/16 निबलेट बाराबंकी, दिनांक-16.07.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-61/2015/2470/सैंतीस-2-2015-1(35)/2013, दिनांक-24.08.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0501-राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र निबलेट, बाराबंकी-24-वृहत् निर्माण कार्य में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-1988.57 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों की आंकलित लागत के 40 प्रतिशत की सीमा तक रू0-367.46 लाख (रूपये तीन करोड़ सरसठ लाख छियालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि प्राविधानित धनराशि की सीमा तक आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुसार करते हुये व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था ´उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' द्वारा गठित आगणनों पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-09.01.2014 में प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हो तो, संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में जमा न किया जाय तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

4. उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0501-राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र निबलेट, बाराबंकी-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-62/2015/2630(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. संबंधित कार्यदायी संस्था।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in